"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 14 दिसम्बर 2007— 23, अग्रहायण 1929

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2007

क्रमांक ई-1-1/2007/एक/2.—इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 31-1-2007 के द्वारा श्री टी. राधाकृष्णन, भा. प्र. से. (सीजी :1978), को प्रमुख सचिव, पर्यटन तथा संस्कृति विभाग एवं आयुक्त, संस्कृति एवं पुरातत्व तथा समन्वयक, महिला कल्याण कार्यक्रम के पद पदस्थ किया गया था.

2. चूंकि श्री राकेश चतुर्वेदी, भा. व. से. (सीजी :1985) को छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 1-17/30/सं./2007, दिनांक 4-10-2007 के द्वारा संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व, रायपुर के पद पर पदस्थ किया गया है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.

3. श्री राकेश चतुर्वेदी द्वारा संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के फलस्वरूप श्री टी. राधाकृष्णन को केवल आयुक्त, संस्कृति एवं पुरातत्व के प्रभार से मुक्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवराज सिंह, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 26 नवम्बर 2007

क्रमांक ई-7/15/2003/1/2.— इस विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 24-10-2007, जिसके द्वारा श्री आर. पी. जैन, भा. प्र. से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को दिनांक 05-11-2007 से 16-11-2007 तक (12 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2007

क्रमांक ई-7/04/2005/1/2.— श्री अन्बलगन पी., भा. प्र. से., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, द. ब., दन्तेवाड़ा को दिनांक 10-12-2007 से 24-12-2007 तक (15 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 08, 09 एवं 25 दिसम्बर, 2007 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अन्बलगन पी. आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, द. ब., दंतेवाड़ा के पद पर पुनः पदस्थ होंगे

3. अवकाश काल में श्री अन्बलगन पी. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अन्बलगन पी. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2007

क्रमांक ई-7/02/2006/1/2.— इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14-11-2007 द्वारा श्री एस. आर. ब्राम्हणे, भा. प्र. से., सचिव, छत्तीसगढ़ लोक आयोग, रायपुर को दिनांक 12-11-2007 से 15-11-2007 (04 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत दिया गया था. इसी के अनुक्रम में श्री ब्राम्हणे को दिनांक 16-11-2007 का एक दिवस का और अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 17 एवं 18 नवंबर, 2007 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. शेष शर्तें यथावत् रहेंगी.

रायपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2007

क्रमांक ई-7/07/2005/1/2.— श्रीमती अलरमेलमंगई डी., भा. प्र. से., अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द. ब., दन्तेवाड़ा को दिनांक 10-12-2007 से 24-12-2007 तक (15 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 08, 09 एवं 25 दिसम्बर, 2007 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती अलरमेलमंगई डी. आगामी आदेश तक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द. ब., दन्तेवाड़ा के पद पर पुनः पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में श्रीमती अलरमेलमंगई डी. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अलरमेलमंगई डी. अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2007

क्रमांक एफ 6-6/2002/1/5.— राज्य शासन, छत्तीसगढ़ राज्य अतिथि नियम-2003 की अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल 2003 के नियम-3 की श्रेणी 2 के अनुक्रमांक-5 जिसमें "संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष" का उल्लेख है, के स्थान पर एतद्द्वारा "संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष/सदस्यगण" अंतर्स्थापित करता है.

रायपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2007

क्रमांक एफ 10-40/2007/1/5.— राज्य शासन, प्रदेश में "सामुदायिक रेडियो स्टेशन" (Community Radio Station) की स्थापना संबंधी विषय के लिए एतद्द्वारा जनसम्पर्क विभाग को "नोडल" विभाग घोषित करता है.

रायपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2007

क्रमांक एफ 1-2/2007/1/5.— छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित जिलों की नगरपालिका/नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायतों में नीचे दर्शाये गये स्थानों में उप-चुनाव सम्पन्न कराये जा रहे हैं. इन उप-चुनावों में मतदान दिनांक 19-12-2007 को निर्धारित है.

क्रमांक	जिले का नाम	नरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायतों	वार्ड क्रमांक
1.	बिलासपुर	नगर पंचायत गौरेला	समस्त वार्ड
	--,,--	नगर पंचायत बिल्हा	8
2.	कोरबा	नगर पालिका निगम कोरबा	49
3.	कोरिया	नगर पंचायत झगराखांड	12
4.	रायपुर	नगर पंचायत राजिम	2
	--,,--	नगर पंचायत अभनपुर	6
5.	महासमुंद	नगर पंचायत सरायपाली	3
6.	दुर्ग	नगरपालिक निगम दुर्ग	37
	--,,--	नगरपालिका परिषद् कुम्हारी	3
	--,,--	नगर पंचायत नवागढ़	12
	--,,--	नगर पालिका परिषद् भिलाई चरौदा	1
	--,,--	नगरपालिका परिषद् दल्लीराजहरा	25
7.	दंतेवाड़ा	नगर पंचायत दंतेवाड़ा	2

2. राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि तालिका में दर्शाये गये वार्डों में निवास करने वाले कर्मचारियों को मतदान करने हेतु 02 घंटे कार्यालय से अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

जल संसाधन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2007

क्रमांक एफ. 01-56/31/स्था./2007.— राज्य शासन एतद्द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर श्री जे. के. कुक्कल, मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी कछार, रायपुर को प्रमुख अभियंता के पद पर वेतनमान रुपये 18400-500-22400/- में पदोन्नत करते हुये, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर में पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिलीप वासनीकर, संयुक्त सचिव.

कृषि (पशुपालन) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2007

क्रमांक एफ 8-104/35/गौसेआ/2007.— छ. ग. राज्य गौसेवा आयोग के अध्यक्ष श्री पवन दीवान द्वारा अध्यक्ष पद से दिए गए त्यागपत्र को स्वीकार करते हुये राज्य शासन एतद्द्वारा छ. ग. राज्य गौसेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में आयोग के वर्तमान सदस्य श्री रमेश दुबे पिता श्री शिवाधीन दुबे, जिला-बिलासपुर को तत्काल प्रभाव से नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवध बिहारी, सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2007

क्रमांक /10443/2007/25-3/आजाक.— विभाग के आदेश क्रमांक/डी-4276/स्था/2003/ आजावि दिनांक 4 सितम्बर, 2003 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग की पद संरचना निम्नानुसार स्वीकृत की गई थी :-

अनु. क्र.	पदनाम	पद संख्या	मान्य वेतनमान	टिप्पणी
1.	सचिव	01	संवर्ग	वेतनमान 6500-10500 से अधिक नहीं
2.	अनुसंधान अधिकारी	01	6500-10500	-
3.	विशेष सहायक	01	संवर्ग	अध्यक्ष के लिए 5000-8000 से अधिक नहीं
4.	निज सहायक	02	संवर्ग	सदस्य के लिए
5.	लेखापाल	01	4000-6000	-
6.	सहायक ग्रेड-2	02	4000-6000	-
7.	सहायक ग्रेड-3	02	3050-4590	-
8.	शीघ्रलेखक ग्रेड-3	01	4000-6000	-
9.	दफ्तरी	01	जिलाध्यक्ष दर पर	-
10.	भृत्य/चौकीदार	04	जिलाध्यक्ष दर पर	-

2. राज्य शासन, एतद्द्वारा उपर्युक्त आदेश दिनांक 4 सितम्बर, 2003 द्वारा स्वीकृत उपर्युक्त पद संरचना में अनु क्रमांक 2 एवं 3 के पदों का पदनाम तथा अनुक्रमांक 1 से 5 का वेतनमान संशोधित करता है :-

अनु. क्र.	पदनाम	पद संख्या	मान्य वेतनमान	टिप्पणी
1.	सचिव	01	8000-13500	-
2.	सहायक अनुसंधान अधिकारी	01	8000-13500	-
3.	निज सहायक	01	6500-10500	अध्यक्ष के लिए
4.	निज सहायक	02	5500-9000	सदस्यों के लिए
5.	शीघ्रलेखक ग्रेड-3	01	4500-7000	-

3. शेष पद आदेश दिनांक 4 सितम्बर, 2003 द्वारा स्वीकृत अनुसार रहेंगे.

4. यह स्वीकृति वित्त विभाग के यु. ओ. नं. 647/1756/वित्त विभाग/ब-3/200 दिनांक 22-11-07 द्वारा प्रदान की गई है.

रायपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2007

क्रमांक /10447/2007/25-3/आजाक.— विभाग के आदेश क्रमांक/7212/3-24/25-2/ आजावि 05 दिनांक 19 अक्टूबर, 2005 द्वारा छत्तीसगढ़ उर्दू अकादमी, रायपुर की पद संरचना स्वीकृत की गई थी जिसके अनुक्रमांक 1 के तहत सचिव का 01 पद, वेतनमान रु. 6500-10500 स्वीकृत किया गया है.

2. राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ उर्दू अकादमी, रायपुर के सचिव के पद का वेतनमान संशोधित करते हुए रु. 6500-10500 के स्थान पर रु. 8000-13500 स्वीकृत करता है.

3. यह स्वीकृति वित्त विभाग के यु. ओ. नं. 647/1756/वित्त विभाग/ब-3/200 दिनांक 22-11-07 द्वारा प्रदान की गई है.

रायपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2007

क्रमांक /10449/2007/25-3/आजाक.— विभाग के आदेश क्रमांक/7407/3-24/25-2/ आजावि/ 05 दिनांक 25 अक्टूबर, 2005 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी, रायपुर की पद संरचना स्वीकृत की गई थी जिसके अनुक्रमांक 4 के तहत डाटा एंट्री आपरेटर का 01 पद, वेतनमान रु. 3050-4590 स्वीकृत किया गया है.

2. राज्य शासन, एतद्द्वारा, उपर्युक्त डाटा एंट्री आपरेटर के पद का वेतनमान संशोधित करते हुए रु. 3050-4590 के स्थान पर रु. 3500-5200 स्वीकृत करता है.

3. यह स्वीकृति वित्त विभाग के यु. ओ. नं. 647/1756/वित्त विभाग/ब-3/200 दिनांक 22-11-07 द्वारा प्रदान की गई है.

रायपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2007

क्रमांक /10462/2007/25-3/आजाक.— राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम की उपविधि क्रमांक 25 के तहत श्री विजय गुरु को तीन वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम, रायपुर का अध्यक्ष नियुक्त करता है. यह आदेश दिनांक 28-10-07 से प्रभावशील होगा.

रायपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2007

क्रमांक /10464/2007/25-3/आजाक.— राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम की उपविधि क्रमांक 25 के तहत श्री हर्षवर्धन, सक्ति, जिला जांजगीर-चाँपा को तीन वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम, रायपुर का उपाध्यक्ष नियुक्त करता है. यह आदेश दिनांक 26-10-07 से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप-सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 नवम्बर 2007

क्रमांक एफ 8-5/2006/11/6.— इंडियन बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा मेसर्स एन. टी. पी. सी. लिमि. कोरबा के बायलर क्रमांक-एम. पी./3799 को दिनांक 17-11-2007 से 30-04-2008 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :-

1. संदर्भाधीन बॉयलर को पहुँचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाँष्पयंत्र छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

2. उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

3. संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

4. नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

5. छत्तीसगढ़ बॉयलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद गुप्ता, विशेष सचिव.

परिवहन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2007

क्रमांक एफ 1-1/दो/आठ-परि/2002.—विधि एवं विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 9795/डी-4225/21-ब/ छ. ग./07, दिनांक 19-11-2007 द्वारा श्री राजेश्वर लाल झंवर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर की सेवाएँ परिवहन विभाग को सौंपने के फलस्वरूप श्री राजेश्वर लाल झंवर को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण, छत्तीसगढ़ रायपुर का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. शुक्ल, संयुक्त सचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 नवम्बर 2007

क्रमांक 9795/डी-4225/21-ब/छ. ग. /07.—राज्य शासन, श्री राजेश्वर लाल झंवर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर की सेवायें प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 509/दो-2-17/2001/गोपनीय/07 दिनांक 13-11-2007 के परिप्रेक्ष्य में राज्य परिवहन अपीलीय प्राधिकरण, रायपुर में पीठासीन अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक परिवहन विभाग को एतद्द्वारा सौंपी जाती है.

रायपुर, दिनांक 19 नवम्बर 2007

क्रमांक 9799/डी-4226/21-ब/छ. ग. /07.—राज्य शासन, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 507-1-8-6/2001/गोपनीय/07 दिनांक 13-11-2007 के परिप्रेक्ष्य में श्री मोहम्मद रिजवान खान व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, सूरजपुर को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर में उप-सचिव के पद पर एतद्द्वारा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सामंतराय, अतिरिक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2007

क्रमांक 9919/डी-4223/21-ब/छ. ग./2007—इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 2674/डी-869/21-ब/छ. ग./07 दिनांक 21-03-2007 को अतिष्ठित करते हुए तथा छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 4 की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की सिफारिश पर नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्थानों पर "फास्ट ट्रेक कोर्ट्स" का गठन तथा स्थापना करती है जो संबंधित पीठासीन अधिकारी के उक्त स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रभावशील होगी :-

अनु. क्र. (1)	जिले का नाम (2)	स्थान का नाम (3)	फास्ट ट्रेक कोर्ट की संख्या (4)
1.	जगदलपुर	कोंडागांव	1
2.	कांकेर	भानुप्रतापपुर	1
3.	बिलासपुर	बिलासपुर	2
		मुंगेली	1
		पेंड्रारोड	1
4.	जांजगीर	जांजगीर	1
5.	कोरबा	कोरबा	1
6.	दुर्ग	दुर्ग	5
		बालोद	1
		बेमेतरा	1
7.	रायगढ़	रायगढ़	2
8.	रायपुर	रायपुर	6
9.	धमतरी	धमतरी	1
10.	कबीरधाम (कवर्धा)	कवर्धा	1

(1)	(2)	(3)	(4)
11.	सरगुजा (अंबिकापुर)	अंबिकापुर	1
		सूरजपुर	1
		प्रतापपुर	1
		रामानुजगंज	2
12.	कोरिया (बैंकुठपुर)	मनेन्द्रगढ़	1
		योग	31

No.9919/D-4223/21-B/C.G./2007.— In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Civil Court Act, 1958 (No. 19 of 1958) and in supersession of the Notification No. 2674/ D-869/21-B/C.G./2007, Raipur, dated 21-03-2007 of this department, the State Government, on the recommendation of the High Court of Chhattisgarh, hereby constitutes and establishes "Fast Track Courts" specified in Schedule below with effect from the date of the Presiding Judge take over charge at these places :-

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of District (2)	Name of Place (3)	No. of Fast Track Courts (4)
1.	Jagdalpur	Kondagaon	1
2.	Kanker	Bhanupratappur	1
3.	Bilaspur	Bilaspur	2
		Mungeli	1
		Pendra Road	1
4.	Janjgir	Janjgir	1
5.	Korba	Korba	1
6.	Durg	Durg	5
		Balod	1
		Bametra	1
7.	Raigarh	Raigarh	2
8.	Raipur	Raipur	6
9.	Dhamtari	Dhamtari	1
10.	Kabirdham (Kawardha)	Kawardha	1
11.	Sarguja (Ambikapur)	Ambikapur	1
		Surajpur	1
		Pratappur	1
		Ramanujganj	1
12.	Koriya (Baikunthpur)	Manendragarh	1
		Total	31

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. पाठक, उप-सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2007

क्रमांक 2310/एफ 9-63/32 /05.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 (क) की उप धारा (2) के अंतर्गत सूचना क्रमांक 1440/एफ 9-63/32/2005 दिनांक 06-08-2007 द्वारा जगदलपुर विकास योजना में निम्नानुसार उपांतरण प्रस्तावित किया गया है, जिसकी सूचना दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी.

विकास योजना जगदलपुर के उपांतरण प्रस्ताव

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा	विकास योजना में प्रस्ताव	अधिनियम की धारा 23 "क" के तहत उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	हाटकचोरा	71/6	0.76	विशेषीकृत वाणिज्यिक	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक (शैक्षणिक)
			0.29	प्रस्तावित आवासीय	
			0.36	प्रस्तावित स्वास्थ्य	
		कुल	**1.41 एकड़**		

सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा जगदलपुर विकास योजना में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है तथा सूचित करता है कि यह उपांतरण जगदलपुर विकास योजना का अंगीकृत भाग होगा.

रायपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2007

क्रमांक 2319/260/32 /07.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 (क) की उप धारा (2) के अंतर्गत सूचना क्रमांक - 497/260/32/2007 दिनांक 15-3-2007 द्वारा बिलासपुर विकास योजना में निम्नानुसार उपांतरण प्रस्तावित किया गया हैं, जिसकी सूचना दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी.

बिलासपुर विकास योजना के उपांतरण प्रस्ताव

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा	विकास योजना अंगीकृत प्रस्ताव	अधिनियम की धारा 23 "क" के तहत उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	चांटापारा (बिलासपुर) शीट क्रमांक-13	11/2, 13	52375 वर्गफुट (1.20 एकड़)	आमोद-प्रमोद	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक (ऑडिटोरियम)

सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा बिलासपुर विकास योजना में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है तथा सूचित करता है कि यह उपांतरण बिलासपुर विकास योजना का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस . बजाज, विशेष सचिव.

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 नवम्बर 2007

क्रमांक एफ-4-124/2006 /18.—राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 21-2-2007 में नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर एवं बिलासपुर का सेटअप स्वीकृत किया गया है. उसी के अनुक्रम में आदेश दिनांक 11-5-2007 में उप संचालक के पद को उन्नयन कर संयुक्त संचालक किया गया तथा आहरण एवं संवितरण का अधिकार दिया गया है एतद्द्वारा संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर/बिलासपुर को कार्यालय प्रमुख एवं आहरण एवं संवितरण अधिकारी घोषित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के . खेतान, सचिव.

गृह (जेल) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 नवम्बर 2007

क्रमांक - एफ- 1-16/दो (तीन-जेल) 05 .— छत्तीसगढ़ जेल नियम, 1968 के नियम-3 के उप नियम- (2) [प्रिजन एक्ट, 1894 (1894 का सं. 9) की धारा-59 की उपधारा (8) के अंतर्गत सशक्त] द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा उप जेल, दंतेवाड़ा को तत्काल प्रभाव से जिला जेल घोषित करती है.

No.-F-1-16/two (three-jail) 05.— In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of Rule 3 of Chhattisgarh Prisons Rules, 1968 [Empowered to Make Rule under sub section (8) of Section 59 of Prison Act, 1894 (No. 9 of 1894)] the State Government hereby declares Sub Jail, Dantewada as District Jail, Dantewada, with immediate effect.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. सोरी, उप-सचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2007

क्रमांक एफ- 5-1/खाद्य/2005/29 .— उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 (1986 की सं. 68) की धारा-10 की उपधारा (1-ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा चयन समिति की अनुशंसा पर श्रीमती चन्द्रकांता सिंह, इन्द्रसेन नगर, 27 खोली, शिवमंदिर के सामने, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ को जिला उपभोक्ता फोरम, बिलासपुर में सदस्य के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 05 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, तक नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. अनन्त, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2007

क्रमांक एफ- 5-1/खाद्य/2005/29 .— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22 नवम्बर, 2007 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. अन्नत, विशेष सचिव.

Raipur the 22nd November 2007

No.F-5-1/food/2005/29.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1-B) of section 10 of the Consumer Protection Act, 1986 (No. 68 of 1986) on the recommendation of the Selection Committee, the State Government is hereby appoint Smt. Chandrakanta Singh, Indrasen Nagar, 27 Kholi, In front of Shivmandir, Bilaspur Chhattisgarh as the member in the District Consumer Forum, Bilaspur with effect from the taking over the charge for a period of 5 years or 65 years age whichever is earlier.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
B. S. ANANT., Special Secretary.

रायपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2007

क्रमांक एफ- 5-1/खाद्य/2005/29.— उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 की सं. 68) की धारा-10 की उपधारा (1-ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा चयन समिति की अनुशंसा पर श्री एम. युसूफ मेमन, महासमुंद, छत्तीसगढ़ को जिला उपभोक्ता फोरम, महासमुंद में सदस्य के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 05 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, तक नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. अन्नत, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2007

क्रमांक एफ- 5-1/खाद्य/2005/29 .— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22 नवम्बर, 2007 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. अन्नत, विशेष सचिव.

Raipur the 22nd November 2007

No.F-5-1/food/2005/29.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1-B) of section 10 of the Consumer Protection Act, 1986 (No. 68 of 1986) on the recommendation of the Selection Committee, the State Government is hereby appoint Shri M. Yusuf Meman, Mahasamund Chhattisgarh as the member in the District Consumer Forum, Mahasamund with effect from the taking over the charge for a period of 5 years or 65 years age whichever is earlier.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
B. S. ANANT., Special Secretary.

रायपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2007

क्रमांक एफ- 5-1/खाद्य/2005/29 .— उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 की सं. 68) की धारा-10 की उपधारा (1-ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा चयन समिति की अनुशंसा पर कुमारी तृप्ति शास्त्री, साहू सदन के पास, केलाबाड़ी, दुर्ग, छत्तीसगढ़ को जिला उपभोक्ता फोरम, दुर्ग में सदस्य के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 05 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, तक नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. अन्नत, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2007

क्रमांक एफ- 5-1/खाद्य/2005/29 .— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22 नवम्बर, 2007 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. अन्नत, विशेष सचिव.

Raipur the 22nd November 2007

No.F-5-1/food/2005/29.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1-B) of section 10 of the Consumer Protection Act, 1986 (No. 68 of 1986) on the recommendation of the Selection Committee, the State Government is hereby appoint Ku. Tripti Shastri, Near Sahu Sadan, Kelabadi, Durg Chhattisgarh as the member in the District Consumer Forum, Durg with effect from the taking over the charge for a perid of 5 years or 65 years age whichever is earlier.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
B. S. ANANT., Special Secretary.

रायपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2007

क्रमांक एफ- 5-1/खाद्य/2005/29 .— उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 (1986 की सं. 68) की धारा-10 की उपधारा (1-ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा चयन समिति की अनुशंसा पर श्री अशफाक अली एवं श्रीमती सुरिन्दर जीत कथूर, सरगुजा, छत्तीसगढ़ को जिला उपभोक्ता फोरम, सरगुजा में सदस्य के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 05 वर्ष की अवधि अथवा 65 की आयु तक जो भी पहले हो, तक नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. अन्नत, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2007

क्रमांक एफ- 5-1/खाद्य/2005/29 .— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22 नवम्बर, 2007 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. अन्नत, विशेष सचिव.

No.F-5-1/food/2005/29.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1-B) of section 10 of the Consumer Protection Act, 1986 (No. 68 of 1986) on the recommendation of the Selection Committee, the State Government is hereby appoint Shri Ashfaq Ali and Smt. Surinder Jeet Kathoor, Surguja, Chhattisgarh as the member in the District Consumer Forum, Surguja with effect from the taking over the charge for a perid of 5 years or 65 years age whichever is earlier.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
B. S. ANANT., Special Secretary.

रायपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2007

क्रमांक एफ- 5-17/खाद्य/2003/29 .— उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 (1986 की सं. 68) की धारा 10 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, चयन समिति की अनुशंसा अनुसार राज्य शासन एतद्द्वारा श्री खेलनदास सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अध्यक्ष के पद पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, दुर्ग में पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. अनंत, विशेष-सचिव.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर.

रायपुर, दिनांक 12 नवम्बर 2007

क्रमांक / पं/पंग्राविवि/2007/2372 .— छत्तीसगढ़ पंचायतराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994, यथासंशोधित) की धारा 21क के साथ पठित धारा 93 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को अधिनियम की धारा 21क (1) एवं (2) के प्रयोजन के लिए विहित प्राधिकारी नामनिर्दिष्ट करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. पी. किण्डो, संयुक्त-सचिव.

तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक एफ 5-115/06/42 रायपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2007

बी. पी. एल. (गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले) छात्र कल्याण छात्रवृत्ति-तकनीकी शिक्षा

1. **प्रस्तावना :** नवगठित छत्तीसगढ़ प्रदेश के शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों तथा पॉलिटेकनिक महाविद्यालयों में बी. पी. एल. छात्र कल्याण छात्रवृत्ति की योजना लागू की जा रही है. इस योजना को लागू किये जाने का उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से अत्यंत कमजोर परिवारों के पुत्र/पुत्रियों को, जो व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में (इंजीनियरिंग तथा पॉलिटेकनिकों) अध्ययनरत हैं, आर्थिक सहायता छात्रवृत्ति के रूप में प्रदाय करना है. इस छात्रवृत्ति का लाभ केवल उन्हीं छात्र/छात्राओं को मिल सकेगा, जिनके माता/पिता/अभिभावक को राज्य शासन द्वारा बी. पी. एल. कार्ड जारी किया गया है. यह आवश्यक होगा कि बी. पी. एल. कार्ड में छात्र/छात्रा का नाम भी अंकित हो. केन्द्र शासन/राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति

के छात्र/छात्राओं के लिए शिक्षण शुल्क में छूट तथा छात्रवृत्ति का लाभ वर्तमान में दिया जाता है.

अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे छात्र-छात्राओं को जिनके माता/पिता/अभिभावकों की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रु. 25,000.00 या उससे कम है शिक्षण शुल्क में छूट तथा छात्रवृत्ति का प्रावधान आदिमजाति कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है. वर्तमान में सामान्य प्रवर्ग के छात्र/छात्राओं को किसी विशेष छूट का प्रावधान नहीं है.

अत: बी. पी. एल. छात्रवृत्ति के लिए सामान्य प्रवर्ग के ही ऐसे छात्र/छात्राओं के आवेदनों पर जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, विचार किया जायेगा. यह छात्रवृत्ति छात्र/छात्राओं की संतोषजनक शैक्षणिक प्रगति एवं नियमित उपस्थिति के आधार पर देय होगी.

2. **उद्देश्य :** इस छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों तथा शासकीय पॉलीटेकनिकों में अध्ययनरत बी. पी. एल. वर्ग के सामान्य प्रवर्ग के छात्र/छात्राओं को अध्ययन करने हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है.

3. **बी. पी. एल. छात्र कल्याण छात्रवृत्ति-तकनीकी शिक्षा नियम :** ये नियम बी. पी. एल. छात्र कल्याण छात्रवृत्ति तकनीकी शिक्षा नियम 2007 कहलायेंगे. इस छात्रवृत्ति का लाभ गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले "सामान्य प्रवर्ग" के परिवार से आने वाले छात्र/छात्राओं को मिल सकेगा.

इन नियमों में :-

(क) बी. पी. एल. छात्र कल्याण छात्रवृत्ति से तात्पर्य ऐसे छात्र/छात्राओं के लिये नियतकालीन भुगतानों से है जो राज्य के शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं शासकीय पॉलीटेकनिकों में अध्ययनरत हों एवं जिनके पिता/माता/अभिभावक छत्तीसगढ़ राज्य में शासकीय प्रावधानों के तहत बी. पी. एल. (गरीबी रेखा के नीचे) कार्डधारी हों.

(ख) "संतोषजनक प्रगति" से तात्पर्य सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण करने से है.

(ग) "नियमित उपस्थिति" से तात्पर्य किसी छात्र/छात्रा की विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने के लिए अर्ह होने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित न्यूनतम उपस्थिति से है.

(घ) "रिक्त छात्रवृत्ति" से तात्पर्य उन छात्रों की छात्रवृत्ति की संख्या है जिन्होने परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, दुराचरण का दोषी पाये जाने पर छात्रवृत्ति के अधिकार से वंचित है, पाठ्यक्रम बीच में ही छोड़ देने के कारण रद्द किये जाने से छात्रवृत्ति रिक्त है.

(ञ) "अर्हकारी परीक्षा" से तात्पर्य उस परीक्षा से है जिसे उत्तीर्ण कर लेने पर कोई भी उम्मीदवार अध्ययन के किसी विशिष्ठ पाठ्यक्रम/उच्च सेमेस्टर में प्रवेश पाने के लिए अर्ह हो जाये.

(च) "पी. ई. टी. परीक्षा" से तात्पर्य है छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश पूर्व परीक्षा.

यह छात्रवृत्ति निम्नांकित शर्तों के आधार पर दी जायेगी -

(1) छात्र/छात्रा छत्तीसगढ़ राज्य का/की स्थानीय निवासी हो.

(2) छात्र/छात्रा को किसी अन्य छात्रवृत्ति का लाभ न हो रहा हो.

(3) यह छात्रवृत्ति उन्हीं छात्र/छात्राओं को दी जायेगी जो राज्य के शासकीय इंजीनियरिंग/पॉलीटेकनिक संस्थाओं में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत हों.

(4) छात्रवृत्ति पाने वाले छात्र/छात्रा का राज्य के भीतर किसी एक शिक्षण संस्था से दूसरी संस्था में स्थानांतरण होने पर उसे स्थानांतरित की गई संस्था से छात्रवृत्ति प्राप्त होगी बशर्ते की वह उस अध्ययन क्रम को जारी रखे जिसके लिये प्रारंभ में छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी.

(5) छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को राज्य शासन अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया बी. पी. एल. कार्ड/प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. संबंधित संस्था के प्राचार्य मूल बी. पी. एल. कार्ड से छायाप्रति को सत्यापित करेंगे.

(6) इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में प्रथम सेमेस्टर में अध्ययनरत बी. पी. एल. के छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति पी. ई. टी. में प्राप्त अंकों/रेंक के आधार पर निर्धारित होगी. पॉलीटेकनिक में प्रथम सेमेस्टर में अध्ययनरत बी. पी. एल. के छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के कुल प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर निर्धारित होगी. गरीबी रेखा के नीचे आने वाले डिप्लोमाधारी छात्र/छात्रा जो लेटरल एंट्री द्वारा शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में प्रवेशित होंगे उनकी मेरिट का निर्धारण अंतिम वर्ष डिप्लोमा के प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर होगा.

(7) उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को उनके पिछले सेमेस्टर की उत्तीर्ण परीक्षा के अंकों के आधार पर तैयार की गई मेरिट सूची के अनुसार छात्रवृत्ति स्वीकृत की जायेगी.

(8) प्रयास किया जायेगा कि बी. पी. एल. छात्रवृत्ति का लाभ बी. पी. एल. के सभी छात्र/छात्राओं को मिले.

(9) यह छात्रवृत्ति बजट सीमा के अध्यधीन होगी.

(10) राज्य शासन के निर्देशानुसार नियमों/शर्तों में संशोधन/परिवर्तन किया जा सकता है.

4. **अवधि :** एक शैक्षणिक वर्ष में छात्रवृत्ति की अधिकतम अवधि 10 माह की होगी. यदि वास्तविक अध्ययन की अवधि कम समय की होगी तो वास्तविक अध्ययन की अवधि के लिये छात्रवृत्ति दी जायेगी. छात्रवृत्ति प्रत्येक सेमेस्टर के लिये देय होगी. छात्रवृत्ति का नवीनीकरण तभी किया जावेगा जब छात्र/छात्रायें अपना पिछला सेमेस्टर उत्तीर्ण करेंगे.

5. **छात्रवृत्ति हेतु संचालनालय स्तर पर छात्रवृत्ति समिति :**

1.	संचालक/अतिरिक्त संचालक	-	अध्यक्ष
2.	प्राचार्य (इंजीनियरिंग महाविद्यायलय)	-	सदस्य (एक प्राचार्य संचालक द्वारा मनोनित)
3.	प्राचार्य (पॉलीटेकनिक)	-	सदस्य (एक प्राचार्य संचालक द्वारा मनोनित)
4.	उप-संचालक (शैक्षणिक शाखा)	-	सदस्य सचिव

6. **संस्था प्रमुख/प्राचार्यों के लिये निर्देश :**

(1) बी. पी. एल. छात्रवृत्तियों के प्रस्ताव प्राचार्य संचालनालय को प्रत्येक सेमेस्टर विषम सेमेस्टर तथा सम सेमेस्टर के लिये भेजेंगे. प्रथम प्रस्ताव माह सितंबर एवं द्वितीय प्रस्ताव माह फरवरी में भेजेंगे.

(2) संचालनालय स्तर पर मेरिट आधार पर युक्तियुक्त एवं पारदर्शी तरीके से बी. पी. एल. छात्रवृत्तियाँ स्वीकृत होंगी. छात्रवृत्तियों की राशि संबंधित संस्था द्वारा छात्र/छात्राओं को बैंक के माध्यम से भुगतान हेतु चेक द्वारा प्रदान की जायेगी.

(3) प्राचार्य नवीनीकरण हेतु छात्र/छात्राओं के आवेदन अग्रेषित करेंगे जिन्हें पूर्व के सेमेस्टर में छात्रवृत्ति मिल रही थी और पिछला सेमेस्टर उत्तीर्ण कर लिया है. सेमेस्टर की अंकसूची की छायाप्रति प्राचार्य द्वारा प्रमाणित, आवेदन के साथ संलग्न होनी चाहिए.

(4) जिन छात्रों को विभिन्न कारणों से पिछले सेमेस्टर/सेमेस्टरों में छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई थी वे भी पूर्व की सभी उत्तीर्ण अंकसूचियां आवेदन के साथ संलग्न कर संबंधित संस्था के प्राचार्य को प्रस्तुत करेंगे. प्राचार्य प्राप्त आवेदन पत्रों को संचालनालय तकनीकी शिक्षा विचारार्थ भेजेंगे.

7. **छात्रवृत्ति का नवीनीकरण, छात्रवृत्ति का रद्द किया जाना :**

(1) नियमों के अधीन छात्रवृत्ति छात्र/छात्रा के संतोषजनक प्रगति, सदाचरण व सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण करने की शर्त पर प्रदाय की जायेगी.

(2) यदि छात्र प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण न होकर अधिक प्रयासों में उत्तीर्ण होता है तो जब वह अगले सेमेस्टर में प्रवेश प्राप्त करता है तब उसको उस सेमेस्टर में छात्रवृत्ति देने हेतु विचार किया जावेगा.

(3) बी. पी. एल. छात्रवृत्ति के लिये चयनित छात्र/छात्रा यदि सेमेस्टर परीक्षा में नहीं बैठे तो उनकी छात्रवृत्ति रद्द कर दी जायेगी.

8. **बजट आवंटन :** संचालनालय तकनीकी शिक्षा द्वारा बनाई गई छात्रवृत्ति सूचियों के आधार पर निर्धारित छात्रवृत्तियों की संख्या के अनुसार प्रत्येक संस्था में छात्रवृत्ति पाने वाले छात्र/छात्राओं की संख्या के अनुसार छात्रवृत्ति की राशि का आवंटन संस्थाओं को जारी कर दिया जावेगा. संबंधित संस्था के प्राचार्य सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर छात्रवृत्तियाँ वितरित करेंगे

9. **बी. पी. एल. छात्र कल्याण छात्रवृत्ति की दर :**

छात्रवृत्ति का नाम	पाठ्यक्रम	अवधि	दर
बी. पी. एल. छात्रवृत्ति	बी. ई.	सेमेस्टर (05 माह)	1000.00 प्रतिमाह
	डिप्लोमा	सेमेस्टर (05 माह)	500.00 प्रतिमाह

छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिये अधिकतम 06 सेमेस्टर तथा पी. ई. टी. के आधार पर प्रवेश प्राप्त स्नातक इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिये अधिकतम 08 सेमेस्टर मान्य होंगे. लेटरल एंट्री से स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं को अधिकतम 06 सेमेस्टर की छात्रवृत्ति की राशि मिलेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमीर अली, संयुक्त-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 4 दिसम्बर 2007

रा. प्र. क्र./4/ अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	कुसमी	सिविलदाग	27.830	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र. 2, अंबिकापुर जिला-सरगुजा.	सिविलदाग जलाशय के डूब क्षेत्र, नहर, स्पील चैनल निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कुसमी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 28 नवम्बर 2007

क्रमांक/359/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	कांकेर	भंडारीपारा	1.62	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स) कांकेर.	कांकेर-मार्दापोटी मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. पी. एस. नेताम, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 16 नवम्बर 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 23/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	सिंमकेदा	50.68	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन, कोरबा.	सिमकेंदा जलाशय के अंतर्गत डूब में आने वाले निजी भूमि प्रयोजन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 3 दिसम्बर 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 22/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर/एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	गेवरा (भैसमाखार)	1.32	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा.	कोयला उत्खनन

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा, जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 15 अक्टूबर 2007

भू-अर्जन प्र. क्र. 10/अ/82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			ख. नं.	रकबा		
रायपुर	बिलाईगढ़	गदहाभाठा, प. ह. नं. 14	118	0.413	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (स./भ.) बलौदा बाजार.	राहिना, जोंरा, धाना, गदहाभाठा मार्ग निर्माण.

रायपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2007

क्रमांक/क/वा./भू. अ./प्र.क./03/ अ-82 वर्ष 07-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			ख. नं.	रकबा		
रायपुर	रायपुर	गुढ़ियारी प. ह. नं. 107	1727, 1728, 1729	01.105	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	रेल्वे अन्डर ब्रिज निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

रायपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2007

क्रमांक/क/वा./भू. अ./प्र.क./04/ अ-82 वर्ष 07-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			ख. नं.	रकबा		
रायपुर	रायपुर	रायपुर खास प. ह. नं. 106 "अ"	241	30.360	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	गुढ़ियारी रेल्वे अन्डर ब्रिज निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 अक्टूबर 2007

क्रमांक1082/ भू-अर्जन/2007/01.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम,1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चांपा
- (ग) नगर/ग्राम-नवागांव, प. ह. नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.566 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	406/10	0.202
	406/7	0.121
	406/13	0.243
योग	3	0.566

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रिस्दा माइनर नं. 2 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 31 अक्टूबर 2007

क्रमांक/1082/ भू-अर्जन/2007/03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम,1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-पामगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-भिलौनी, प. ह. नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.024 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	767	0.024
योग	1	0.024

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ढाबाडीह वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 12 नवंबर 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-28/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-तेलीपाली, प. ह. नं. 26
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.274 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
236/1	0.075
284/1	0.010
298/1	0.211
278/1	0.025
298/2	0.093
235	0.032
236/3	0.045
281/2	0.216
236/2	0.150

(1)	(2)
270/2	0.015
270/3	0.015
271	0.012
272	0.012
299	0.125
297/2	0.079
296/1	0.064
300/1	0.093
303	0.163
270/1	0.015
273	0.012
297	0.079
221	0.045
279	0.081
283	0.065
294	0.430
105	0.341
281/1	0.219
296/2	0.045
260/1	0.030
300/2	0.065
220/1	0.081
280/3	0.064
280/1	0.065
280/2	0.069
295	0.105
220/2	0.028
योग	3.274

(2) सार्वजनिक प्रयोजनार्थ तेलीपाली जलाशय के डूबान क्षेत्र के भू-अर्जन की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. टण्डन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 15 नवंबर2007

क्रमांक/4147/प्र-1/अ. वि. अ./07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-दुर्ग
 (ख) तहसील-बालोद
 (ग) नगर/ग्राम-सुन्दरा, प. ह. नं. 01
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.03 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
336	0.01
398	0.01
404/2	0.01
योग 3	0.03

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :- ओरमा-भोथली-सुन्दरा पहुँच मार्ग.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बालोद के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 15 नवंबर 2007

क्रमांक/4147/प्र-1/अ. वि. अ./07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-दुर्ग
 (ख) तहसील-बालोद
 (ग) नगर/ग्राम-ओरमा
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.39 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
244/2	0.01
245/3	0:02
246/1	0.05
246/2	0.01
254	0.07
280/1	0.07
283/1	0.01
284/1	0.01
285/2	0.01

(1)	(2)
286/1	0.03
311	0.01
314/2	0.05
315/3	0.04
योग	0.39

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :- सुन्दरा-भोथली-औरमा पहुंच मार्ग

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बालोद के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 15 नवंबर 2007

क्रमांक/4149/प्र-1/अ. वि. अ./07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बालोद
- (ग) नगर/ग्राम-कांड़े, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.11 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
374	0.04
370/1, 3	0.02
343	0.13
324	0.02
246	0.25
189	0.03
190	0.04
194	0.03
79	0.10
28	0.05
39	0.03
71	0.06
202	0.04
27	0.04
84	0.04
83	0.01
37/1	0.04
38	0.08
373	0.06
370/2	0.01
322	0.06
331	0.05
70	0.24
191	0.03
192	0.03
195	0.09
196	0.01
197	0.02
198	0.04
201	0.01
204	0.02
205	0.02
82	0.06
35	0.07
36/2	0.02
26	0.12
1	0.10
योग 37	2.11

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :- नारागांव जलाशय नहर में अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बालोद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 25 सितम्बर 2007

क्रमांक 8287/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-मुंजालपाथरी,प. ह. नं. 56
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.599 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
4/1	0.559
4/2	0.016
7/4	0.057
7/10	0.381
7/11	0.113
5	0.194
32	0.166
33/2	0.231
33/3	0.044
35	0.377
7/12	0.109
36/1	0.105
36/3	0.186
2	0.061
योग 14	2.599

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- घुमरिया नाला बैराज के दांयी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 25 सितम्बर 2007

क्रमांक 8288/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-मुंजालकला, प. ह. नं. 60
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.244 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
248	0.016
276/1	0.032
273/1	0.250
273/2	0.320
442/2	0.061
442/4	0.089
276/2	0.028
279	0.008
275	0.182
236/6	0.101
277	0.296
278	0.016
236/5	0.117
235	0.040
380	0.020
381	0.219
428	0.162
378	0.081
427	0.190
426	0.150
430	0.020
391/2	0.304
392	0.220
274	0.178
379	0.064
425	0.113
442/6	0.138
442/7	0.138
442/8	0.170
393	0.400
442/10	0.044
442/11	0.077
योग 32	4.244

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- घुमरिया नाला बैराज के दांयी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 25 सितम्बर 2007

क्रमांक 8289/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-पठानढोड़गी, प. ह. नं. 55
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.057 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
11	0.421
291/1/1	0.142
291/1/2	0.008
291/3/1	0.064
291/3/2	0.125
477/1/1	0.120
477/1/2	0.100
12/3	0.174
22/2	0.020
478	0.219
480	0.020
331	0.032
10	0.466
12/2	0.061
12/4	0.065
481	0.121
21/1.	0.004
325/2/1	0.065
327/2	0.109
8, 9	0.096
97	0.110
3/2, 109	0.745
5/6	0.271
112/1	0.004
3/5	0.080
5/2	0.182
3/6	0.202
5/3	0.162
3/4	0.081
5/5	0.081
4	0.138
6	0.030
114/2	0.255
294/3	0.105
294/1	0.008
112/3	0.004
294/5	0.012
322	0.105
325/1	0.089
325/3	0.044
328	0.093
285/1	0.004
303	0.040
329	0.049
330	0.057
479/2	0.024
327/1	0.004
326	0.012
291/2	0.105
292	0.089
298	0.052
293	0.024
297/1	0.113
287	0.369
284/3	0.004
473/4	0.081
475/4	0.113
474	0.636
475/2	0.057
479/1	0.093
5/1	0.062
5/4	0.033
112/4	0.052
114/3	0.105
114/4	0.142
294/4	0.081
3/3	0.065

(1)	(2)
332	0.219
114/1	0.064
321/3	0.184
304/2	0.527
290	0.012
299/1	0.057
299/2	0.202
475/3	0.044
477/2	0.049
योग 78	9.057

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- घुमरिया नाला बैराज के दायीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 25 सितम्बर 2007

क्रमांक 8290/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-थैलीटोला, प. ह. नं. 55
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.448 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
258/5/1	0.028
25/3	0.255
232/4	0.085
254/1	0.113
258/1	0.316
255/7	0.203
258/3	0.219
41	0.117
257	0.060
258/7	0.138
258/8	0.040
258/12	0.166
254/2	0.036
255/2	0.211
40/4	0.032
48/2	0.316
192/1	0.065
193	0.097
255/1	0.097
232/5	0.178
228/1	0.061
228/2	0.049
229/1	0.016
230	0.053
227/6	0.089
227/7	0.032
229/2/1	0.045
227/8	0.024
229/2/3	0.012
187	0.044
227/1	0.008
227/3	0.036
227/5	0.028
229/2/2	0.024
227/2	0.008
227/4	0.032
29	0.097
224/3	0.041
45	0.069
47	0.061
223	0.093
186	0.040
174/11	0.162
183/1	0.060
185	0.020
184	0.020
42/2/1	0.125
42/2/5	0.098

(1)	(2)
43	0.150
181/2	0.142
183/2, 183/3/1	0.069
182	0.064
258/10	0.184
192/2/1	0.138
48/1	0.012
28	0.060
44/1	0.194
27/1	0.490
49	0.065
174/1	0.427
40/1	0.012
38	0.016
42/2 ख	0.270
258/11	0.120
258/9	0.136
15/2/2	0.089
42/2/3	0.150
40/3	0.024
255/3	0.142
44/2	0.067
46	0.105
224/1	0.028
224/2	0.032
25/7	0.590
255/4	0.203
226/3	0.018
231	0.020
174/10	0.180
42/3 क	0.016
172/2 क	0.016
योग 81	8.448

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- घुमरिया नाला बैराज के दायीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 25 सितम्बर 2007

क्रमांक 8291/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-चिरचारीकला, प. ह. नं. 57
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-16.109 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
468/3	0.285
72	0.822
73	0.016
468/4	0.154
71	1.057
248	0.208
85	0.196
97	0.099
468/2	0.081
84	0.185
484/1	0.867
769	1.014
75	0.152
77	0.706
103	0.057
105	0.407
104/1	0.148
477	0.135
466/1	0.125
821/1	0.348
484/2	0.208
479/1	0.268
478	0.190
467	0.338
469	0.025

(1)	(2)
455	0.020
466/2	0.280
476/1	0.142
631/1	0.065
630/3	0.032
440	0.113
438/3	0.050
630/1	0.109
629/3	0.124
680	0.547
681	0.049
633	0.134
819	0.150
629/4	0.154
629/8	0.211
654/2	0.024
104/2	0.083
106/2	0.079
629/1	0.120
629/5	0.008
629/9	0.032
789	0.036
784	0.498
793	0.267
656	0.054
682	0.253
815/2	0.255
820/1	0.028
820/2	0.020
815/1	0.255
814	0.004
470/3	0.081
470/2	0.089
470/4	0.082
825	0.198
821/2	0.065
788/3	0.089
828/1	0.239
494/2	0.086
783/3	0.020
634/1	0.101
634/2	0.152
634/4	0.044
634/3	0.061
487/2	0.253
439/3	0.172
428/6	0.166
428/5	0.284
428/7	0.304
631/2	0.069
487/1	0.196
439/1	0.126
439/2	0.182
655	0.020
822/1	0.156
823/1	0.020
96/1	0.040
99/1	0.075
815/3	0.044
486	0.168
453	0.008
438/1	0.036
441/1	0.032
102/1	0.016
632/1	0.008
438/2	0.080
36	0.048
37	0.012
योग 93	16.109

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- घुमरिया नाला बैराज के दायीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 18 अक्टूबर 2007

क्रमांक 9078/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-भंवरमरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.34 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
856	0.27
934/2	0.07
योग 2	0.34

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- शिवनाथ व्यपवर्तन (चांदो) के शाखा नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 18 अक्टूबर 2007

क्रमांक 9079/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-भोड़िया, प. ह. नं. 25
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.86 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
182/1	0.25
184/1	0.30
184/2	0.31
योग 3	0.86

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- शिवनाथ व्यपवर्तन (चांदो) के सिंघोला शाखा नहर-2 हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी महासमुन्द

महासमुंद, दिनांक 26 नवंबर 2007

क्रमांक 640 क/एस. डब्ल्यू/बंधुआ मजदूर/ 2007.—छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग मंत्रालय रायपुर के पत्र क्रमांक 1386/श्रम/2007 रायपुर दिनांक 31-07-2007 के तहत जिले में बंधक श्रमिकों के पहचान विमुक्त तथा पुनर्वास के क्रियान्वयन हेतु जिले में "जिला स्तरीय सतर्कता समिति" का पुनर्गठन निम्नानुसार किया जाता है :-

क्रमांक (1)	प्रस्तावित सदस्य का नाम एवं पदनाम (2)	रिमार्क (3)
1.	अपर कलेक्टर, जिला-महासमुंद	अध्यक्ष
2.	पुलिस अधीक्षक, जिला महासमुंद	सदस्य

(1)	(2)	(3)
3.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत महासमुंद	सदस्य
4.	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जिला-महासमुंद	सदस्य
5.	श्री विश्राम सिंह ध्रुव, अध्यक्ष कृषि उपज मंडी महासमुंद (अ. ज. जा.)	सदस्य
6.	श्री महेन्द्र सिंह दीवान, सदस्य जिला पंचायत महासमुंद (अ. ज. जा.)	सदस्य
7.	श्री त्रिभुवन महिलांग, उपाध्यक्ष नगर पालिका परिषद् महासमुंद (अ. जा.)	सदस्य
8.	श्री जोंस थॉमस, एफ. सी. आई. रोड महासमुंद (सामाजिक कार्यकर्ता)	सदस्य
9.	श्री अनिल शर्मा, अधिवक्ता,(अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ महासमुंद एवं सामाजिक कार्यकर्ता).	सदस्य
10.	प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक महासमुंद	सदस्य

एस. के. जायसवाल,
कलेक्टर.